

ACS, GAD

संख्या ए-50013/362/2021-(जीडब्ल्यू ई)

भारत सरकार

मुख्य सचिव का कार्यालय, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
(जीडब्ल्यूई अनुभाग)

15 APR 2026

कमरा सं.622 ए,


श्रम शक्ति भवन,

रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

परिपत्र

विषय: जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत एक अधीनस्थ संगठन, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा वेतन मैट्रिक्स के स्तर-15 (सातवें सीपीसी के अनुसार 1,82,200 - 2,24,100 रुपए) में अध्यक्ष के 01 (एक) पद को भरे जाने के संबंध

55 (1)



जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ संगठन, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के आधार पर, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-15 में चेयरमैन के 01 (एक) पद को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता की शर्तें नीचे दी गई हैं:

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या स्वायत्त संगठनों या अर्द्धसरकारी संगठनों या लोक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी-

- (क) (i). जो मूल काडर या विभाग में सदृश पर धारण किया है; या
(ii). जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 18400-22400 रुपए या समतुल के वेतनमान में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो; और
(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:-

- (i) किसी मान्ताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरिंग में डिग्री या समतुल्य; या
(ii) जिसके पास भूमिगत जल संसाधन के सर्वेक्षण, खोज, विकास, रेजिम मानिट्रिंग, अनुसंधान प्रशिक्षण लघु सिंचाई और प्रबंध के क्षेत्र में 20 वर्ष का अनुभव है।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।


प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया दो वर्ष (एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है) से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को अट्ठावन (58) से अधिक नहीं होगी।

05.01.1994 की भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन संख्या 2/29/91 (विभाग II) में समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त पद के लिए चयनित अधिकारी का वेतन विनियमित किया जाएगा।

16 APR 2026

मुख्य सचिव का कार्यालय
द्वारा सं. 16/4/26
दिनांक 16/4/26

U.S-01



श्री शक्ति
17/4/26
1945/40-01
17.4.2026

3. इस पद के लिए कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व:

अध्यक्ष विभाग के प्रमुख होते हैं जो नीति योजना और कार्यान्वयन तथा बोर्ड के समय प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं।

4. आवेदन (दो प्रतियों में) निर्धारित प्रारूप में उचित माध्यम से अपर सचिव (जीडब्ल्यूई), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, कमरा सं. 633ए, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को प्रकाशन की तिथि से 45 दिन के भीतर भेज सकते हैं। आवेदनों की सॉफ्ट कॉपी (पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन की गई) usgw-mowr@nic.in और sogwe-mowr@gov.in पर ईमेल के साथ हार्ड कॉपी भी अग्रोषित की जा सकती है।

आवेदन के साथ प्रायोजक प्राधिकारी से निम्नलिखित दस्तावेज/प्रमाणपत्र संलग्न होने चाहिए:-

- (i) आवेदक द्वारा दी गई जानकारी सही होने का प्रमाण पत्र;
- (ii) आवेदक के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला लंबित या विचाराधीन न हो;
- (iii) चयन होने की स्थिति में, अधिकारी को नए कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त कर दिया जाएगा;
- (iv) आवेदक के पिछले 5 वर्षों के अद्यतन सीआर डोजियर की सत्यापित प्रति;
- (v) निर्धारित प्रारूप में सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र; और
- (vi) पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई शास्ति संबंधी विवरण।

5. अनुरोध है कि पात्र अधिकारी, जो इच्छुक हों और चयन होने पर कार्यभार ग्रहण कर सकें, वे संलग्न प्रपत्र में अपने हस्ताक्षर सहित बायो-डेटा (दो प्रतियों में) और पिछले पांच वर्षों की अद्यतन गोपनीय रिपोर्टों की सत्यापित प्रति, निर्धारित प्रपत्र में सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र, सतर्कता प्रमाण पत्र और पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई शास्ति संबंधी विवरण संलग्न करके 'अवर सचिव (भूजल स्थापना), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, कमरा नंबर 633ए, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली 110001' को रोजगार समाचार/रोजगार समाचार साप्ताहिक में इस परिपत्र के प्रकाशन की तिथि से पैंतालीस दिन के भीतर भेज दें। अपूर्ण नामांकन, निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त नामांकन या निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त न होने वाले नामांकन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(अनिल कुमार शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 011-23716928

प्रति,

- (i) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
- (ii) सभी राज्य सरकारों के सचिव (सेवाएं)।
- (iii) अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
- (iv) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन सभी संगठनों के प्रमुख।
- (v) अध्यक्ष, केंद्रीय भूमिजल बोर्ड, एनएच-IV, फरीदाबाद को व्यापक प्रसार के लिए केंद्रीय भूमिजल बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने को अनुरोध के साथ।
- (vi) जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सभी विंग प्रमुख।
- (vii) एनआईसी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

बायो-डेटा/करिकुलम विटा प्रोफार्मा

1.	नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में)	:	
2.	जन्म तिथि (ईस्वी सन् में)	:	
3.	(I) सेवा में प्रवेश की तिथि (II) केंद्र/राज्य सरकार के नियमों के तहत सेवानिवृत्ति की तिथि	:	
4.	शैक्षणिक अर्हता	:	
5.	क्या पद के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं रखते हैं। (यदि किसी अर्हता को नियमों में निर्धारित अर्हता के समतुल्य माना गया है, तो उसके लिए प्राधिकरण का उल्लेख करें)		
	विज्ञापन / रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित अपेक्षित अर्हता / अनुभव	अधिकारी की अर्हता/अनुभव	
	अनिवार्य	अनिवार्य	
	क) अर्हता	क) अर्हता	
	ख) अनुभव	ख) अनुभव	
	वांछनीय	वांछनीय	
	क) अर्हता	क) अर्हता	
	ख) अनुभव	ख) अनुभव	
5.1	टिप्पणी: इस कॉलम में परिपत्र जारी होने और रोजगार समाचार में विज्ञापन जारी होने के समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा भर्ती नियमों में उल्लिखित अनिवार्य और वांछनीय अर्हताओं को इंगित करने के लिए विस्तार में सूचना दी जानी चाहिए।		
5.2	डिग्री और स्नातकोत्तर अर्हता के मामले में उम्मीदवार द्वारा चयनित / मुख्य विषयों और सहायक विषयों का संकेत दिया जा सकता है।		
6.	कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या आपके द्वारा ऊपर की गई प्रविष्टियों के आलोक में, आप पद की अपेक्षित आवश्यक अर्हता और कार्य अनुभव को पूरा करते हैं।	:	

6.1	टिप्पणी- अधिकारियों को मांगने वाले विभागों को आवेदित पद के संदर्भ में उम्मीदवार की संबंधित अनिवार्य अर्हता/कार्य अनुभव (बायोडाटा में दर्शाए गए अनुसार) की पुष्टि करते हुए उनकी विशिष्ट टिप्पणियां/विचार रखने होंगे।
7.	कालक्रमानुसार रोजगार का विवरण। यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है, तो आपके हस्ताक्षर द्वारा विधिवत प्रमाणित एक अलग शीट संलग्न करें।

कार्यालय/संस्थान	नियमित आधार पर धारित पद	कब से	कब तक	• नियमित आधार पर धारित पद का पे बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	आवेदन किए गए पद के लिए अपेक्षित अनुभव को उजागर करते हुए किए जाने वाले कार्य की प्रकृति (विस्तार से)

• महत्वपूर्ण: एसीपी/एमएसीपी के तहत दिए गए वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अधिकारी के व्यक्तिगत हैं और इसलिए, इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान का उल्लेख किया जाना चाहिए। वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के साथ एसीपी / एमएसीपी का विवरण, जहां उम्मीदवार द्वारा इस तरह के लाभ प्राप्त किए गए हैं, नीचे दिए गए हैं:

कार्यालय/संस्थान	एसीपी/एमएसीपी योजना के तहत प्राप्त वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	कब से	कब तक

8.	वर्तमान रोजगार की प्रकृति अर्थात् तदर्थ या अस्थायी या अर्ध-स्थायी या स्थायी	:	
9.	यदि वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति / संविदा के आधार पर धारण किया जाता है, तो कृपया बताएं-	:	
	क) प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि की अवधि	ख) प्रतिनियुक्ति / संविदा पर नियुक्ति का नाम, जिससे संबंधित है	ग) वर्तमान संगठन का नाम, जिससे संबंधित है
			घ) मूल संगठन में वास्तविक क्षमता में रखे गए पद का नाम और वेतन

9.1	टिप्पणी- पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर होने वाले अधिकारियों के मामले में, ऐसे अधिकारियों के आवेदन वर्तमान संवर्ग/विभाग द्वारा केंद्र स्वीकृति, सतर्कता स्वीकृति और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र के साथ अद्योचित किए जाने चाहिए।		
9.2	टिप्पणी- उपरोक्त कॉलम 9 (ग) और (घ) के तहत सूचना उन सभी मामलों में दी जानी चाहिए जहां कोई व्यक्ति संवर्ग/संगठन के बाहर प्रतिनियुक्ति पर एक पद धारण किए हुए है, लेकिन फिर भी अपने मूल संवर्ग/संगठन में लियन पर है।		
10.	यदि आवेदक द्वारा पहले किसी पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखा हो तो, अंतिम प्रतिनियुक्ति से वापस आने की तारीख और अन्य विवरण		
11.	वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण: कृपया बताएं कि किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं (संबंधित कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम इंगित करें)- 1) केंद्र सरकार 2) राज्य सरकार 3) स्वायत्त संगठन 4) सरकारी उपक्रम 5) विश्वविद्यालय 6) अन्य		
12.	कृपया उल्लेख करें कि क्या आप इसी विभाग में कार्य कर रहे हैं और फीडर योड या फीडर से फीडर योड में हैं।		
13.	क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हाँ, तो संशोधन की तारीख बताएं जिससे संशोधन हुआ और संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें।	:	
14.	वर्तमान में प्रति माह आहरित कुल परिलब्धियां		
	वेतन बैंड में वेतन	योड वेतन	कुल परिलब्धियां
15.	यदि आवेदक किसी ऐसे संगठन से संबंधित है जो केंद्र सरकार के वेतनमान का पालन नहीं कर रहा है, तो संगठन द्वारा जारी नवीनतम वेतन पर्ची निम्नलिखित विवरण दर्शाती है।		

वेतनमान और वेतन वृद्धि की मंहगाई दर के साथ मूल वेतन	वेतन/अंतरिम कुल परिलब्धियां राहत/अन्य भत्ता आदि (पूर्ण विवरण के साथ)

16. क	<p>अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जिसे आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लिखित करना चाहते हैं। पद से संबंधित है जिसके लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन में आवेदन किया था।</p> <p>(इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न के संबंध में सूचना दी जा सकती है)</p> <p>(i) अतिरिक्त शैक्षणिक अर्हताएं</p> <p>(ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण और</p> <p>(iii) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में निर्धारित कार्य अनुभव के अलावा किये गए अन्य कार्यों का अनुभव</p> <p>(टिप्पणी- यदि स्थान अपर्याप्त है तो एक अलग शीट संलग्न करें।)</p>	:	
16. ख	<p>उपलब्धियां:</p> <p>उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के संबंध में जानकारी दें -</p> <ol style="list-style-type: none"> शोध प्रकाशन, रिपोर्ट और विशेष परियोजनाएं। पुरस्कार/छात्रवृत्ति/आधिकारिक प्रशंसा। पेशेवर निकायों/संस्थानों/संस्थाओं के साथ संबद्धता और अपने नाम पर पंजीकृत या संगठन के लिए हासिल किया गया पेटेंट। आधिकारिक मान्यता सहित अन्य शोध/नवीन उपाय कोई अन्य जानकारी <p>(टिप्पणी: यदि स्थान अपर्याप्त है तो एक अलग शीट संलग्न करें।)</p>		

17.	कृपया बताएं कि क्या आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/आमेहन/पुनः रोजगार के आधार पर आवेदन कर रहे हैं। (केंद्र/राज्य सरकारों के अधीन अधिकारी केवल "आमेहन" के पात्र हैं। गैर-सरकारी संगठनों के उम्मीदवार अल्पकालिक संविदा हेतु पात्र हैं।)		
	# (एसटीसी/आमेहन/पुनः रोजगार का विकल्प केवल तभी उपलब्ध होता है जब रिक्ति परिपत्र में विशेष रूप से एसटीसी/आमेहन/पुनः रोजगार द्वारा भर्ती का उल्लेख हो)		
18.	क्या एससी/एसटी से संबंधित है।	:	

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ा है और मैं इस बात से भली भांति अवगत हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत विधिवत जीवनवृत्त में दी गई जानकारी, जिसे आवश्यक योग्यता/कार्य अनुभव के संबंध में दस्तावेजों द्वारा समर्थित किया गया है, का मूल्यांकन चयन समिति द्वारा पद के चयन के समय किया जाएगा। मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी/विवरण मेरे जानकारी के अनुसार सही और सत्य हैं और मेरे चयन पर प्रभाव डालने वाला कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया/रोका नहीं गया है।

दिनांक _____

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

पता _____

नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन

उपरोक्त आवेदन में दी गई जानकारी/विवरण रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सत्य हैं। उसके पास विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव हैं। यदि चयनित किया जाता है, तो उन्हें तुरंत कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि-

i) श्री/श्रीमती के विरुद्ध कोई सतर्कता या अनुशासनात्मक मामला लंबित /विचाराधीन नहीं है।

ii) उनकी सत्यनिष्ठता प्रमाणित है।

iii) मूल में उनका सीआर डोजियर संलग्न है/पिछले पांच वर्षों के एसीआर की फोटोकॉपी संलग्न है, जिसे भारत सरकार के अवर सचिव या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है।

iv) पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर कोई बड़ी/छोटी शास्ती नहीं लगाई गई है अथवा पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर लगाई गई बड़ी/छोटी शास्ती की सूची संलग्न है (जैसा भी मामला हो)

प्रतिहस्ताक्षरित

(नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के मोहर सहित)